



## **Cattle Feed Plant, Kaladera**

Plot no. SP34 & 34A, RIICO Area, Kaladera

A unit of

**JAIPUR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD. JAIPUR**

PABX:- 0141-2713666-69 Ext. 450  
Website : [www.jaipurdairy.com](http://www.jaipurdairy.com)

FAX: - 0141-2711075  
Email:-[cfp.kaladera@gmail.com](mailto:cfp.kaladera@gmail.com)

## **E-TENDER DOCUMENT**

For

**ANNUAL RATE CONTRACT FOR BIOMASS BRIQUETTE, ASH  
HANDLING & ASH DISPOSAL FORM STEAM BOILER  
(ON JOB WORK BASIS)**

At

## **Cattle Feed Plant, Kaladera**

SP 34 & 34A, RIICO Industrial Area –Kaladera, – 303801

Dist. – Jaipur (Raj.)

**एकल चरण – दो भाग निविदा**

## *Table of Contents*

**Disclaimer : Page No. 3**

**Critical Dates : Page No. 4**

**Notice Inviting Bid/Tender : Page No. 5 to 7**

**Section I: Instructions to Bidders and Bid Data (ITB): Page No. 8 to 11**

**Section II: Evaluation and Qualification Criteria: Page No. 12**

**Section III: Terms of Reference (TOR): Page No. 13 to 19**

**Section IV: Bidding Forms : Page No. 20 to 28**

**Technical Proposal (Bid)**

**(I) Section V : Contract Forms and Performance Security: Page No. 29 to 30**

**(II) Financial Proposal (Bid) : Page No. 31**

## **Disclaimer**

- A. The information contained in this e-tender/Bid document provided to the Bidder (s), by or on behalf of Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Limited or any of its employees or advisors, is provided to the Bidder(s) on the terms and conditions set out in this e-tender/Bid document and all other terms and conditions subject to which such information is provided.
  
- B. The purpose of this e-tender/Bid document is to provide the Bidder(s) with information to assist the formulation of their Proposals. This e-tender/Bid document does not purport to contain all the information which each Bidder may require. This e-tender/Bid document may not be appropriate for all persons, and it is not possible for Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Limited, its employees or advisors to consider the business/ investment objectives, financial situation and particular needs of each Bidder who reads or uses this e-tender/Bid document. Each Bidder should conduct its own investigations and analysis and should check the accuracy, reliability and completeness of the information in this e-tender/Bid document and where necessary obtain independent advice from appropriate sources.
  
- C. Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Limited, its employees and advisors make no representation or warranty and shall incur no liability under any law, statute, rules or regulations as to the accuracy, reliability or completeness of the e-tender/Biddocument.
  
- D. Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Limited may, in its absolute discretion, but without being under any obligation to do so, update, amend or supplement the information in this e-tender/Biddocument.

## Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd. Jaipur

Near Gandhi Nagar Railway Station, Jaipur

PABX No. : 91-0141-2713666-69 (4 Lines) , Sales :91-0141-2713670 Fax No. : 0141-2711075,

E-Mail : cfp.kaladera@gmail.com

Website : <http://www.jaipurdairy.com>

### Critical Dates

S.No	Particulars	Date
1.	Date & time of uploading tender document by Jaipur Dairy	21.04.2026 From 04:30 PM
2.	Date from which Bidding Document will be provided from the web-site of Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Limited i.e. <a href="http://www.jaipurdairy.com">www.jaipurdairy.com</a> or can be downloaded from e-procurement or State Public Procurement Portal	21.04.2026 From 04:30 PM
3.	Pre-Bid meeting at JZDUSS LTD. HQ, Jaipur	27.04.2026 at 02:00 PM
4.	Last time and date upto which Bids can be submitted offline	04.05.2026 till 02:00 PM
5.	Last date & time for submission of fees following in original and physical form:	04.05.2026 till 04:00 PM
	Bid-security/EMD: Rs. 24,000/- by DD / banker cheque / pay order (CTS only)/ BG in name of Cattle Feed Plant, Kaladera.	
	Tender document fee : Rs. 500 by DD / banker cheque / pay order (CTS only)in name of Cattle Feed Plant, Kaladera	
	RISL Processing fee : Rs. 500/- by DD / banker cheque / pay order CTS only) in name of MD, RISL., Jaipur	
6.	Time and date of opening of Technical Bid	05.05.2026 at 03:00 PM
7.	Time and date of opening of Financial Bid	To be informed later

## Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd.

Near Gandhi Nagar Railway Station, Jaipur

PABX No. : 91-0141-2713666-69 (4 Lines) , Sales :91-0141-2713670 Fax No. : 0141-2711075,

E-Mail:cfp.kaladera@gmail.com

Website :<http://www.jaipurdairy.com>

### TENDER – FORM

**Subject:** Tenders are invited from experienced and financially sound tenderers for engaging manpower on job work basis for following activities: Filling of Biomass Briquette in steam boiler, Ash Handling & Ash Disposal from steam boiler (On Job Work Basis).

- |  |   |  |
|--|---|--|
| Pre-Bid meeting  | : | 27.04.2026 at 02:00 PM<br>At Meeting room of Jaipur Dairy Plant,<br>Near Gandhi Nagar Railway station, Jaipur  |
| 1) Last Date & Ttme for Submission<br>Of tender document offline                       | : | 04-05-2026 till 02:00 PM   |
| 2) Tender form fee, tender processing fee:<br>& EMD is to be deposited as per schedule |   | 04-05-2026 till 04:00 PM   |
| 3) Estimated value of Contract   |   | <b>Rs. 12 Lac</b>  |
| 4) Date & time for opening of the Tender<br>(Technical bid only)                       | : | 05-05-2026 at 03:00 PM   |
| 5) Earnest Money Deposit:  |   | Tender form must be accompanied with<br>Earnest Money of Rs 24,000/-<br>The EMD should be in the form of DD/BG in favour<br>of <b><u>“Cattle Feed Plant, Kaladera” payable at Jaipur<br/>without which the tender form will not be<br/>considered.</u></b> |
| 6) Tender Fee (non-refundable)   | : | Rs. 500/- (Rs. Five Hundred only) by Demand<br>draft only in favour of “Cattle Feed Plant,<br>Kaladera” payable at Jaipur.   |
| 7) Tender Processing Fee(non-refundable)   | : | Rs 500/- (Rupees Five Hundred)<br>Demand draft in favour of MD, RISL, payable at<br>Jaipur   |

Note: The above referred fees & EMD to be deposited at following address:

Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd.,  
Near Gandhi Nagar Railway Station: 302015

- 6) The complete Bidding Document including the Conditions of Contract, Evaluation and Qualification Criteria, Terms of Reference, Bidding Forms, Procedure of Bidding etc. can be seen at **[www.jaipurdairy.com](http://www.jaipurdairy.com)**. Alternatively, these may be seen and downloaded from the website of State Public Procurement Portal, **<http://sppp.rajasthan.gov.in>** and website of e-procurement **<http://eproc.rajasthan.gov.in>** and the price of Bidding Document, Bid Security/ Bid Securing

Declaration, as applicable and Processing Fee, the scan copy of these documents must be uploaded on e-procurement.

- 7) The original Demand draft/ Banker's cheque/ Bank Guarantee in the specified format, from a Scheduled Bank in India, shall be submitted personally or dropped in the Bid Box or by post in sealed envelopes deposited in the office of **Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd., Near Gandhi Nagar Railway station at Jaipur-302015** after last time and date of Bid submission and before Time and date of opening of technical Bid, failing in which the bid shall be rejected.
- 8) Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd., Jaipur is not bound to accept the successful Bid and may reject any or all Bids without assigning any reason thereof.
- 9) For any query regarding the BID, the bidder can contact to competent authority of Sangh.

# पशु आहार संयन्त्र, कालाडेरा

इकाई— जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, जयपुर  
गांधी नगर रेलवे स्टेशन के पास, जयपुर— 302015

क्रमांक: एफ(2)/जजिदुससंसंलि/सीएफपी/निविदा/2026/२२१५-१६ दिनांक ...18/04/2026

## ई-निविदा सूचना

पशु आहार संयन्त्र, कालाडेरा पर स्टीम बॉयलर में बायोमास ब्रिकेट डालने एवं राख निकालने (एश हेण्डलिंग) इत्यादि कार्य हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती हैं। इस हेतु वेबसाइट [www.eproc.rajasthan.gov.in](http://www.eproc.rajasthan.gov.in) पर निविदा प्रपत्र भरा जा सकेगा, जिसकी विस्तृत सूचना एवं महत्वपूर्ण तिथियां वेबसाइट [www.sppp.rajasthan.gov.in](http://www.sppp.rajasthan.gov.in) एवं [www.jaipurdairy.com](http://www.jaipurdairy.com) देखी जा सकेंगी।

प्रबन्ध संचालक

प्रतिलिपि :-

1. उपप्रबन्धक (प्रचार-प्रसार) दुग्ध संघ, जयपुर को भेजकर लेख है कि निविदा सूचना को समाचार पत्र में प्रकाशित करवाने का श्रम करावें।
2. सूचना पट्ट, पशु आहार संयन्त्र, कालाडेरा
3. सूचना पट्ट, दुग्ध संघ, जयपुर
4. कार्यालय प्रति/मास्टर फाईल

प्रबन्ध संचालक

## अनुभाग -I

### Instructions to Bidders

#### INSTRUCTIONS FOR SUBMISSION OF E-TENDER FORM & DOCUMENTS

1. The bidders who are interested in bidding can download tender documents from <http://eproc.rajasthan.gov.in>
2. Bidders who wish to participate in this tender will have to register on <http://eproc.rajasthan.gov.in>. To participate in online tenders, Bidders will have to procure Digital Signature Certificate (typeIII) as per Information Technology Act-2000 using which they can sign their electronic bids. Bidders can procure the same from any CCA approved certifying agency, i.e. TCS, safecrypt, Ncode etc. or they may contact- procurement Cell, Department of IT & C, Government of Rajasthan for further assistance. Bidders who already have a valid Digital certificate need not procure a new Digital Certificate.

Address: e-Procurement Cell, RISL, Yojana Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur

3. Bidders shall submit their offer on-line in Electronic formats both for technical and financial proposal, however D.D. for Tender fees, Processing Fees and E.M.D. should be submitted manually in the office of Tendering Authority Before date & time of opening of technical bids and scanned copy of D.D. should also be uploaded along with the online bid.
4. Before electronically submitting the tenders, it should be ensured that all the tender papers including conditions of contract are digitally signed by the tenderer.
5. The scan copy of tender form, rates & other relevant documents duly signed by Tenderer should be submitted online only.
6. If required by the Tenderer, training may be given by DOIT, Yojana Bhawan, Bidder Contact: E-Procurement Cell, 1<sup>st</sup> Floor, Yojana Bhawan Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur. Help Desk MOBILE: +91-7878007972, +91-7878007973, or 180030702232 "Tollfree, 24X7"  
E-mail- [eproc@rajasthan.gov.in](mailto:eproc@rajasthan.gov.in)
7. Tender Form & hand written rates would not be accepted in Tender Box,
8. Please read carefully the steps of submitting Tender online.
9. Bidders are also advised to refer "Bidders manual" available under "Downloads" section for further details about the e-tendering process.

### **Grievance Redressal during procurement process**

#### Grievance Redressal

Any grievance of a Bidder pertaining to the procurement process shall be by way of filing an appeal to the Appellate Authority, as specified below:

Appellate Authority:- Chairman, Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Limited

#### Appendix A: Grievance Handling Procedure during Procurement Process (Appeals)

##### Filing an appeal

If any Bidder or prospective Bidder is aggrieved about any decision, action or omission of the Procuring Entity, he may file an appeal to Appellate Authority, as may be designated for the purpose, within a period of ten days from the date of such decision, action, or omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bid before the opening of the financial Bid, an appeal related to the matter of Financial Bid may be filed only by a Bidder whose technical Bid is found to be acceptable.

##### ***(1) Appeal not to lie in certain cases***

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) Determination of need of procurement;
- (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) The decision of whether or not to enter in to negotiations;
- (d) Cancellation of a procurement process;
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality.

##### ***(2) Form of Appeal***

- (a) An appeal shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to Appellate Authority, in person or through registered post or authorized representative.

***(3) Fee for filing appeal***

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's Cheque of a Scheduled Bank payable in the name of Appellate Authority concerned.

***(4) Procedure for disposal of appeals***

- (a) The Appellate Authority, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,
  - (i) Hear all the parties to appeal present before him; and
  - (ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall be placed on the State
- (e) Public Procurement Portal.

FORM NO.1  
[See rule83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in  
Public Procurement Act, 2012

Appeal No .....of .....  
Before the ..... (Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

- (i) Name of the appellant:
- (ii) Official address, if any:
- (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

- 1.
- 2.
- 3.

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of there representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:

.....  
 .....  
 ..... (Supported by an affidavit)

7. Prayer:

.....  
 .....

Place .....

Date .....

Applicant's signature

## अनुभाग II

### निविदादाताओं की अर्हता, पात्रता एवं मूल्यांकन की शर्तें

1. बोलीदाता/संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगा :-

क्र. सं०	विवरण	रजि० सं०	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत वैध लेबर लाईसेन्स				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
5.	आय कर (पैन नंबर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 / बी.आर.एन. या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

2. निविदादाता प्रतिष्ठित उत्पादक/डिस्ट्रीब्यूटर/डीलर/सेवादाता होना चाहिये।
3. निविदादाता को निविदा प्रपत्र फीस, आर.आई.एस.एल. प्रोसेसिंग फीस, ई.एम.डी. राशि जमा करवाना आवश्यक है अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
4. निविदादाता द्वारा जयपुर संघ अथवा संघ के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध (संघ से सम्बन्धित कार्य के बारे में) किसी भी न्यायालय अथवा कहीं और किसी भी प्रकार का वाद लम्बित होने पर निविदा में भाग नहीं ले सकते।
5. निविदादाता जिन्हे पूर्व में संघ द्वारा किसी भी कारण से अयोग्य किया गया है/निलम्बित/ अनुबंध निरस्त किया गया है/ब्लेक लिस्टेड किया गया है वे इस निविदा में भाग नहीं ले सकते।
6. निविदादाता जिनका संघ के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी/संचालक मण्डल के सदस्य से/दुग्ध समितियों के पदाधिकारी वित्तीय सम्बन्ध है वे इस निविदा में भाग नहीं ले सकते।
7. निविदादाता जिनका संघ के संचालक मण्डल के सदस्य/दुग्ध समितियों के पदाधिकारी/अधिकारी/कर्मचारी से रक्त सम्बन्ध है वे इस निविदा में भाग नहीं ले सकते।
8. निविदादाता जो दिवालिया/नाबालिग/अस्वस्थ मस्तिष्क के हैं वे इस निविदा में भाग नहीं ले सकते।
9. निविदादाता जो संघ के समान/प्रतिस्पर्धी कार्य/व्यापार में लिप्त हैं वे इस निविदा में भाग नहीं ले सकते।
10. निविदादाता वर्तमान में किसी भी अन्य प्रतिस्पर्धी ब्रांड के कार्यालय/संयंत्र में अनुबंध के अंतर्गत कार्यरत हैं वे इस निविदा में भाग नहीं ले सकते।
11. जयपुर दुग्ध संघ में सुरक्षा कार्य के अनुबन्धित ठेकेदार, जयपुर दुग्ध संघ के सभी अनुबन्धित ठेकेदार पशु आहार संयंत्र, कालाडेरु की निविदाओं में भाग नहीं ले सकते।
12. वे निविदादाता जिनको निविदा में भाग लेने से सीमित किया जाता है उसके लिये निविदा की विशेष शर्तों में मय सीमित करने का आधार का उल्लेख किया जावेगा।
13. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में दी गई घोषणा गलत पाये जाने पर धरोहर /सुरक्षा राशि/बैंक गारंटी/अन्य देय भुगतान संघ में जब्त समझी जावेगी एवं टेण्डर की अवधि के दौरान तथ्य उजागर होने पर टेण्डर को निरस्त भी किया जा सकेगा। जिसके लिए निविदादाता स्वयं जिम्मेदार रहेगा।
14. निविदादाता को निविदा से सम्बन्धित सभी शर्तें माननी होगी। निविदादाता द्वारा सशर्त निविदा प्रस्तुत किये जाने पर वह निविदा निरस्त मानी जावेगी।
15. निविदादाता को जी.एस.टी. में पंजीकृत व पेन नम्बर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
16. निविदादाता को प्रपत्र में वांछित सभी फार्म भरकर हस्ताक्षर मय सील अंकित कर प्रस्तुत करना होगा।
17. लेबर सम्बन्धी निविदादाता के पास नियमानुसार श्रम विभाग का लेबर लाईसेन्स, पी.एफ. एवं ई.एस. आई. में पंजीकरण होना आवश्यक है।
18. निविदादाता को निविदा प्रपत्र व संलग्न दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं सील अंकित करनी होगी।
19. एम.एस.एम.ई. निविदादाता को किसी भी प्रकार की टेण्डर फार्म राशि ई.एम.डी./सिक्योरिटी राशि में छूट नहीं दी जावेगी।
20. परिवार के सदस्य जिनके निविदादाता से रक्त सम्बन्ध हैं और जो निविदादाता पर आश्रित हैं वे निविदा में भाग नहीं ले सकते।

## अनुभाग III (A)

### Terms of Reference

1. सफल निविदादाता द्वारा प्रति शिफ्ट एक कर्मकार उपलब्ध कराना होगा।
2. पशु आहार संयंत्र, कालाडेरा में विभिन्न स्थानों पर स्टोर किए गए बायोमॉस ब्रिकेट को उठाकर लाना, उसमें से अवांछित पदार्थ इत्यादि को अलग करवाना एवं बायलर्स में डालना।
3. चालू बायलर में गर्म राख को धक्का लगाना एवं एश चैम्बर से गर्म राख निकालकर निर्धारित स्थान पर निर्देशानुसार डालना व उसको पानी डालकर ठण्डा करना तथा वेस्ट राख को ट्रौली की सहायता से संयंत्र से बाहर डालना।
4. बायलर की फ्लू ट्यूब, मुख्य ट्यूब एवं एश चैम्बर को सम्बन्धित अनुभागाधिकारी के निर्देशानुसार निर्धारित समय पर पूर्ण रूप से साफ करना।
5. बायलर्स हाउस साफ्टनिंग प्लान्ट व सम्बन्धित उपकरणों की निर्देशानुसार सफाई करना।
6. जैसा कि उपरोक्त वर्णित विस्तृत विवरण से स्पष्ट है कि कार्य निष्पादन हेतु स्वस्थ एवं अनुभवी श्रमिकों की आवश्यकता होगी। अतः संयंत्र के किसी भी उक्त कार्य में आने वाले अवरोध के लिए सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार ही होगी।
7. बायलर की ट्यूब एवं एश चैम्बर इत्यादि को निर्देशानुसार बायलर निरीक्षण के समय साफ करना होगा।
8. श्रमिकों द्वारा सुचारु रूप से समस्त कार्य नियमित किए जा रहे हैं इसको सुनिश्चित करने हेतु ठेकेदार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को रोजाना कार्य निरीक्षण करते हुए सम्बन्धित अधिकारी से सम्पर्क कर व्यवस्था सुधार हेतु निर्देश दें।
9. ठेके की अवधि ठेका प्रदान करने के दिन से एक वर्ष के लिए मान्य होगी जिसकी गणना समस्त शर्तों का नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक अनुबन्ध हस्ताक्षरित किए जाने के उपरान्त कार्य आंवटन दिनांक से की जावेगी, जिसे तीन माह के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।
10. श्रमिक अधिनियमों के तहत श्रमिकों को दी जाने वाली विविध सुविधाएं यथा ई.एस.आई., पी.एफ., श्रमिकों को उपलब्ध कराने का दायित्व ठेकेदार का होगा। इस संबंध में ठेकेदार द्वारा प्रतिमाह न्यूनतम मजदूरी एवं मजदूरी भुगतान अभिलेख प्रस्तुत किए जायेंगे। उक्त प्रमाणित अभिलेखों को प्रस्तुत करने में असफल रहने पर ठेकेदार का भुगतान रोका जा सकेगा। सरकार द्वारा निर्धारित अन्य सभी करों यथा आयकर/जीएसटी की जिम्मेदारी भी स्वयं ठेकेदार की होगी इत्यादि।
11. ठेकेदार द्वारा नियुक्त श्रमिकों द्वारा पशु आहार संयंत्र में आवंटित कार्य या भवन या प्लांट एवं मशीनरी का या अन्य प्रकार की कोई चोरी अथवा नुकसान किया जाता है तो उसका पुनर्भरण ठेकेदार को करना होगा। नुकसान के 25 गुना तक (गुण-दोष के आधार पर) शास्ति आरोपित करने का प्रशासन का अधिकार होगा।
12. ठेकेदार द्वारा नियुक्त श्रमिक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। श्रमिक के अस्वस्थ होने पर उनकी सेवाएं प्रबन्ध की संतुष्टि के स्तर की नहीं होने पर प्रबन्ध के निर्देशानुसार ऐसे श्रमिकों को हटाकर दूसरा श्रमिक उपलब्ध कराने का दायित्व ठेकेदार का होगा।
13. निविदादाता को कोई भी शर्त जोड़ने अथवा हटाने या परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होगा यदि किसी तरह का संशोधन या परिवर्तन किया गया तो यह प्रशासन को मान्य नहीं होगा, इसके उल्लंघन की सूचना मिलने पर बिना किसी नोटिस या कारण बताये ठेका समाप्त करने का अधिकार पशु आहार संयंत्र, कालाडेरा के प्रशासन को होगा।
14. ठेकेदार को ठेका समाप्ति उपरान्त एक इण्डेमिनिट बाण्ड उचित मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करना होगा।
  - (अ) संबंधित अनुभागों से बकाया नहीं प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर।
  - (ब) श्रमिक अधिनियमों के अन्तर्गत भविष्य निधि योजना व जमा राशि इत्यादि की औपचारिकताएं पूरी किए जाने से सम्बन्धित निर्धारित प्रपत्रों, पंजिकाओं एवं प्रमाण पत्रों की प्रतियां प्रस्तुत करने पर।

15. ठेकेदार द्वारा नियुक्त प्रत्येक श्रमिक के नाम व पते व आधार कार्ड की छाया प्रति सहित विस्तृत सूचना व आवश्यकता होने पर परिचय पत्र भी तैयार कर प्रबन्धक को उपलब्ध करवाना होगा।
16. कारखाना अधिनियम मजदूरी अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम आदि समस्त आद्यौगिक अधिनियम एवं उनके अन्तर्गत लगाये नियमों के तहत यदि कोई विवाद श्रमिक या श्रमिकों द्वारा उठाया जाता है जो उसके निपटारे का पूर्ण दायित्व नियोक्ता ठेकेदार का होगा। ठेका समाप्ति उपरान्त इण्डमिनटी बॉण्ड भी इस आशय का प्रस्तुत करना होगा।
17. बायोमॉस ब्रिकेट के ट्रकों को खाली करने व भरने का कार्य ट्रक के पशु आहार संयंत्र, कालाडेरा में पहुंचने के आधा घण्टे के अन्दर शुरू करना होगा तथा दो घण्टे में पूरा करना होगा। ज्यादा ट्रक एक साथ आने की स्थिति में अलग-अलग जगह पर तीन-चार ट्रक एक साथ खाली करने होंगे।
18. बायोमॉस ब्रिकेट के ट्रक प्रबन्ध के निर्देशानुसार निर्धारित स्थान पर खाली करने होंगे।
19. ठेकेदार को सिर्फ बायोमॉस ब्रिकेट की खपत के अनुसार भुगतान किया जायेगा। आयल फायर्ड बायलर उपयोग में लेने की दशा में अगर कोल फायर्ड बायलर उपयोग में नहीं आता है तो चूंकि बायोमॉस ब्रिकेट की खपत नहीं होगी अतः उन दिनों का किसी भी प्रकार का भुगतान ठेकेदार को देय नहीं होगा।
20. बायोमास ब्रिकेट फायर्ड व आयल फायर्ड बायलर दोनों ही साथ-साथ चलते हैं तो बायोमास ब्रिकेट फायर्ड बायलर में काम में आये बायोमॉस ब्रिकेट की मात्रा के अनुसार भुगतान किया जावेगा।
21. प्रबन्ध द्वारा अधिकृत/नियुक्त प्रभारी द्वारा दी गई अल्पकालीन सूचना के आधार पर सूचना प्राप्त होने के तुरन्त पश्चात पर्याप्त संख्या में वांछित कार्य सम्पादित करवाने हेतु किसी भी समय श्रमिक उपलब्ध करवाने का दायित्व ठेकेदार का होगा। यदि ठेकेदार इस कार्य में असफल रहता है तो ठेकेदार के हर्जे-खर्चे पर अन्य स्थान से जिस दर पर श्रमिक मिलेंगे, लाकर कार्य पूरा कराने का प्रयास किया जावेगा एवं उक्त कार्य में होने वाले सम्पूर्ण व्यय को मय शास्ति ठेकेदार के बिलों से या सुरक्षा राशि से कटा जावेगा।
22. निविदादाता का सक्षम अधिकारी से कान्ट्रेक्ट लेबर (रेग्यूलेशन एण्ड एबोलिशन) एक्ट, 1970 के अन्तर्गत आवश्यक रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।
23. सिक्वोरिटि मेनगेट पर प्रत्येक ठेका श्रमिक के कार्य पर उपस्थित होने एवं कार्य समय पूर्ण होने पर परिसर से बाहर जाने का समय अंकित होगा।
24. यह कि ठेकेदार के द्वारा नियोजित किसी भी कार्मिक जयपुर दुग्ध संघ में अथवा इनमें से किसी के द्वारा संचालित किसी भी यूनिट का कार्मिक नहीं माना जावेगा। किसी भी ठेकेदार के द्वारा नियोजित किसी भी कार्मिक के द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत अथवा अन्य किसी भी अधिनियम के अंतर्गत जयपुर दुग्ध संघ/पशु आहार संयंत्र, कालाडेरा के खिलाफ किसी भी प्रकार का मुकदमा स्थायी नियोजन के लिये किया जाता है तो उसकी सभी प्रकार की जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी। पशु आहार संयंत्र, कालाडेरा ठेकेदार के किसी भी कार्मिक को स्वयं के यहां किसी भी प्रकार से स्थाई नियोजन नहीं देंगे और स्वयं की सेवा में भी नियोजित नहीं करेंगे।
25. यह कि प्रशासन के द्वारा निर्देशित किये जाने पर ठेकेदार के द्वारा किसी भी कार्मिक को ठेकेदार तुरन्त हटा लेगा और उसके स्थान पर 24 घण्टे के भीतर दूसरा कार्मिक कार्य पर लगायेगा।
26. उक्त समस्त शर्तें, ठेका स्वीकृत होने पर निष्पादित किये गये अनुबंध का हिस्सा रहेगी व अनुबंध की शर्तों के रूप में उपरोक्त समस्त शर्तें ठेकेदार/एजेन्सी पर लागू रहेगी।
27. यह कि ठेकेदार के द्वारा नियुक्त कर्मचारी के कार्य का सुपरवीजन, कन्ट्रोल, डायरेक्शन व वेतन भुगतान की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
28. ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को पारिश्रमिक का भुगतान प्रत्येक माह की 07 तारीख तक करना आवश्यक होगा।
29. कार्य विवरण में उल्लेखित समस्त कार्य ठेकेदार को अपने श्रमिकों से पूर्ण कराने की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। केवल श्रमिक उपलब्ध करा देना पर्याप्त नहीं होगा, स्वयं ठेकेदार या उसके

- प्रतिनिधि को प्रत्येक पारी में कार्य सम्पादित कराने के लिए उपस्थित रहना होगा। प्रतिनिधियों के नाम व मोबाईल नम्बर पूर्व में ही प्रबन्धन पशु आहार संयन्त्र को देने होंगे।
30. ठेकेदार तथा श्रमिकों को सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना करनी होगी। अनुशासनहीन या अवांछित श्रमिक को कार्य स्थल से तुरन्त बाहर भेज दिया जावेगा तथा संयन्त्र परिसर में नहीं आने दिया जावेगा।
  31. कार्य आवश्यकतानुसार ही कराया जावेगा। किसी भी कार्य व न्यूनतम कार्य की कोई गारण्टी नहीं है।
  32. ठेकेदार को श्रमिकों के आधार कार्ड/पहचान पत्र इत्यादि रखने होंगे एवं आवश्यकता पडने पर संस्था द्वारा चाहे गये श्रमिकों के शैक्षणिक दस्तावेज इत्यादि उपलब्ध कराने होंगे।
  33. सफल निविदादाता को संघ का नोमिनल सदस्य बनना होगा। इस हेतु रुपये 110/- नकद संघ में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जावेगी एवं इसकी प्रतिलिपि टेण्डर कमेटी को देनी होगी।
  34. बॉयलर पर कार्यरत श्रमिक का बीमा करवाया जाना आवश्यक होगा। किसी भी प्रकार दुर्घटना के लिये संयन्त्र/संघ जिम्मेदार नहीं होगा। किसी भी प्रकार दुर्घटना के लिये ठेकेदार की सम्पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

## अनुभाग III (B)

### निविदा की सामान्य शर्तें

1. निविदा प्रपत्र दो भागों में है (तकनीकी भाग – भाग अ एवं वित्तीय भाग – भाग ब)। निविदादाता द्वारा दोनो भाग अलग अलग भरे जाने हैं एवं दोनो ही भाग अलग अलग लिफाफों में सीलबंद कर प्रस्तुत करना होगा तथा लिफाफे पर फर्म का नाम इत्यादि विवरण अंकित करना आवश्यक है। ई-टेंडर होने की स्थिति में भाग "अ" तथा भाग "ब" अलग-अलग अपलोड किये जाने हैं।
2. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा के भाग "अ" के साथ विशेष शर्तों के अनुसार धरोहर राशि (अरनेस्ट मनी), टेंडर फार्म फीस के ड्राफ्ट **केटल फीड प्लान्ट, कालाडेर** के नाम संलग्न करनी होगी एवं टेंडर प्रोसेसिंग फीस का ड्राफ्ट MD RISL के नाम जमा करवाना होगा। जिसके अभाव में निविदा निरस्त मानी जावेगी। सफल निविदादाता की धरोहर राशि सुरक्षा राशि के पेटे समामेलित कर दी जावेगी। ई-टेंडर होने की स्थिति में धरोहर राशि, टेंडर फार्म फीस एवं टेंडर प्रोसेसिंग फीस के ड्राफ्ट की स्केन की हुई कॉपी भाग "अ" के साथ अपलोड की जानी है तथा मूल ड्राफ्ट इस कार्यालय में दिये गये निर्देशों के अनुसार जमा करानी आवश्यक है।
3. असफल निविदादाताओं को निविदा प्रक्रिया पूर्ण होते ही उनकी धरोहर राशि लौटा दी जावेगी।
4. धरोहर राशि निम्न कारणों से जब्त की जायेगी :-
  1. यदि निविदादाता निविदा खुलने के पश्चात अपनी निविदा वापस लेता है या परिवर्तन करता है।
  2. यदि निविदादाता दर स्वीकृति पत्र में दिये गये समय के अंदर सुरक्षा राशि एवं अनुबन्ध नहीं करता है।

नोट : यदि उक्त कारण से निविदादाता की धरोहर राशि जब्त की जाती है तो वह पार्टी भविष्य में संघ में किसी भी निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगी। ऐसे निविदादाता जिनकी धरोहर राशि पूर्व में जब्त की जा चुकी है वे इस निविदा में भाग लेने के लिये अयोग्य होंगे।

5. भाग "अ"के साथ सभी प्रकार के दस्तावेज इत्यादि संलग्न/अपलोड किये जाने आवश्यक है। कोई भी आवश्यक दस्तावेज नहीं होने की स्थिति में निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी। भाग "ब"के लिफाफे में सिर्फ वित्तीय भाग ही होना चाहिए।
6. सफल निविदादाता को (विशेष शर्तों के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो) बैंक गारन्टी दिया जाना अनिवार्य हैं। जो कि अनुबन्ध समाप्ति की अवधि के छः माह पश्चात तक की होना अनिवार्य हैं।
7. अनुबंध की अवधि को संतोषजनक कार्य होने की स्थिति में तीन माह हेतु उन्हीं शर्तों पर बढ़ाया जा सकेगा।
8. अनुबन्ध हस्ताक्षरित करने से पूर्व विशेष शर्तों के अनुसार सिक्यूरिटी के रूप में अनुबन्ध राशि की 5 प्रतिशत, राशि जमा करानी होगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। सुरक्षित राशि अनुबन्धित कार्यावधि सफलतापूर्वक समाप्ति के 6 माह पश्चात निम्न शर्तें पूरी हो जाने के उपरान्त बैंक से लौटाई जा सकेगी :-

- (अ) निविदादाता को अनुबन्ध समाप्ति उपरान्त एक इण्डेमनिटी बाण्ड सौ रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर करने पर।
- (ब) सभी सम्बन्धित अनुभागों से बकाया नहीं प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर।
- (स) श्रमिक अधिनियमों के अन्तर्गत भविष्य निधि, राज्य कर्मचारी बीमा नियममें जमा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर (यदि आवश्यक हो तो)।
- (द) कॉन्ट्रैक्ट लेबर अबोलिशन एक्ट के अधीन श्रमिकों के उपस्थिति, वेतन भुगतान भविष्य निधि योजना व जमा राशि इत्यादि की औपचारिकतायें पूरी किये जाने के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्रों, पंजिकाओं में रिकार्ड संधारण किये जावेगें तथा आवश्यकता पर प्रतियों प्रस्तुत करनी होगी।(यदि आवश्यक हो तो)।
- (य) सभी वैधानिक आवश्यकताये मय आयकर/टैक्स (यदि हो तो) व अन्य टैक्स नियमानुसार जमा करवाने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अनुबंधकर्ता द्वारा टैक्स जमा कराने सम्बन्धी दस्तावेज की प्रतिलिपि (यदि आवश्यक हो तो) प्रस्तुत करनी होगी।

9. निविदा प्रपत्र के विशेष शर्तोंमें कार्य सम्बन्धी समस्त विवरण व शर्तों का विवरण दिया गया है। निविदादाता को इनके प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर अंकित करके चाहे गये समस्त दस्तावेजों को स्वयं सत्यापित फोटो प्रति तथा अमानत राशि का ड्राफ्ट संलग्न करते हुये पृथक रूप से एक मोहरबन्द लिफाफे में जिस पर निविदा कार्य का नाम व "भाग अ" अंकित करना होगा। ई-टेंडर होने की स्थिति में भाग अ तथा भाग ब अलग अलग अपलोड किये जाने हैं ।
10. निविदा प्रपत्र का भाग "ब" में निविदादाता द्वारा दी जाने वाली दर भरी जानी है तथा इस दर के प्रपत्र को एक पृथक मोहरबन्द लिफाफे में जिस पर कार्य का नाम व भाग "ब " अंकित हो प्रस्तुत की जानी है। ई-टेंडर होने की स्थिति में भाग "ब "निर्धारित प्रपत्र में अलग अपलोड किया जाना हैं।
11. उपरोक्त दोनों मोहरबन्द लिफाफे को एक अन्य लिफाफे में मोहरबन्द करके उस पर कार्य विवरण व निविदा खुलने की तारीख अंकित करते हुये निर्धारित अवधि से पूर्व प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। यह सिर्फ उन निविदाओं के लिए लागू होगा जिसमें ई-निविदा नहीं भरी जानी है।
12. निविदादाता द्वारा सम्बन्धित कार्य के लिये प्रस्तुत की जाने वाली निविदा के भाग "अ" में चाही गई वांछित सूचनाएं एवं दस्तावेजों व निर्धारित ई.एम.डी. (अमानत राशि) जमा होने के आधार पर योग्य पाये जाने वाले निविदादाताओं की निविदाओं के सम्बन्धित भाग "ब" को खोला जावेगा ।
13. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा पत्र के भाग "अ" में किसी भी अपूर्ण सूचना अथवा सम्बन्धित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति या ई.एम.डी. (अमानत राशि) के अभाव में अयोग्य घोषित किये जाने पर उनके द्वारा प्रस्तुत भाग "ब" पर विचार नहीं किया जावेगा ।
14. निविदा पत्र के भाग "ब" में सम्बन्धित कार्य हेतु निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरो का उल्लेख अंको एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक होगा । किसी प्रकार की ओवरराईटिंग पर सूक्ष्म हस्ताक्षर करना होगा। किसी संशय की स्थिति में शब्दों में लिखी राशि को ही मान्य किया जावेगा। ई-टेंडर होने की स्थिति में दरें निर्धारित प्रपत्र में ही भरी जानी है।
15. सफल निविदादाता को जयपुर दुग्ध संघ का नोमिनल सदस्य बनना आवश्यक है।
16. किसी प्रकार की शर्त जोड़ने एवं हटाने का अधिकार निविदादाता को नहीं होगा।
17. निविदादाता को निविदा पत्र के समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा। ई-टेंडर होने की स्थिति में प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर अपलोड किया जाना होगा।
18. किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार प्रबन्ध संचालक महोदय में निहित रहेगा।
19. फर्म के प्रकार में किसी भी तरह का परिवर्तन होने पर अनुबन्धकर्ता को इस कार्यालय में सूचित करना आवश्यक है। परन्तु यह परिवर्तन किसी भी पूर्व पार्टनर को अनुबंध के दायित्व से मुक्त नहीं करेंगी । परिवर्तन के पश्चात भी अनुबंधकर्ता फर्म अनुबंध की शर्तों से बंधी हुई रहेंगी ।
20. कार्य आदेश देने के 15 दिवस के अन्दर समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर कार्य प्रारम्भ करना होगा । जिसके अभाव में कार्य आदेश निरस्त कर अमानत राशि जब्त की जा सकेगी ।
21. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायाधिकरण क्षेत्र जयपुर मान्य होगा ।
22. निर्धारित अवधि के बाद प्रस्तुत/अपलोड किये गये निविदा प्रपत्र पर विचार नहीं किया जावेगा ।
23. निविदायें सीलबन्द लिफाफे में प्रकाशित निविदा सूचना एवं ठेके की शर्तों के अनुसार निर्धारित समय में संलग्न प्रार्थना पत्र में अपना पूरा स्थायी पता व पत्र व्यवहार करने का पता टेलीफोन नम्बर अपना ई-मेल पता इत्यादि बिना किसी अधिलेखन (OVER WRITING) के प्रविष्टियाँ पूर्ण कर प्रत्येक पृष्ठ पर इस आशय के साथ कि मैंने प्रत्येक शर्त को पढ लिया है व समझ लिया है अपने हस्ताक्षर कर जमा कराना होगा। निविदादाता /अनुबंधकर्ता को कोई भी सूचना उसके ई-मेल के पते पर प्रेषित की जा सकती है। ई-मेल पर भेजी गई सूचना निविदादाता/अनुबंधकर्ता को उसी दिन प्राप्त हुई मानी जावेगी ।
24. डेयरी प्रशासन द्वारा निविदादाता के कार्यालय एवं अन्य संस्थाओं , जंहा विशेष शर्तों के अनुसार अनुभव प्रमाण पत्र निविदादाता द्वारा दिया गया है, का अवलोकन किया जा सकता है ।
25. यदि कोई निविदादाता द्वारा कोई तथ्य छुपाया जाता है जोकि अनुबन्ध अवधि में सामने आता है तो अनुबंध निरस्त कर धरोहर राशि/सुरक्षा राशि/बैंक गारंटी एवं अन्य देय भुगतान जब्त कर लिया जावेगा ।
26. व्यवस्था में परिवर्तन होने पर एवं संघ हित में अनुबंध अवधि से पूर्व समाप्त करने का अधिकार संघ के पास होगा ।

27. संघ हित में विशेष परिस्थिति उत्पन्न होने पर अनुबन्ध की शर्तों में कोई शर्त जोड़ी या घटाई जा सकती हैं।
28. अनुबंध की अवधि अनुबंधित कार्य प्रारम्भ करने के दिन, जिसकी गणना अनुबन्ध में वर्णित समस्त शर्तों को नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध हस्ताक्षरित किये जाने के उपरान्त कार्य आवंटन दिनांक से की जावेगी। नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर की कीमत राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र के प्रावधान के अनुसार होगी, जो कि अनुबन्ध की लागत का 0.25 प्रतिशत तथा अधिकतम 15000/- रु. होगी।
29. मोहरबन्द निविदा निर्धारित तिथि व समय पर जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, जयपुर के कार्यालय में खोली जावेगी व उस समय निवेदक स्वयं या उसका अधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थित रहने हेतु इजाजत होगी। ऐसा इसलिए भी आवश्यक है कि उस दिन आवश्यक होने पर निविदा दरों पर नेगोशियेशन भी हो सकता है। ई-टेंडर होने की स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय पर निविदाएं डाउनलोड की जावेगी।
30. निविदादाताओं द्वारा प्रेषित की गई दरें जयपुर दुग्ध संघ प्रशासन के पास विचार कर नियमानुसार स्वीकार करने के लिये निविदा खुलने की तिथि से तीन माह तक खुला रखना होगा।
31. अनुबंधकर्ता द्वारा सम्पादित कराये गये कार्य का विवरण के समय निर्धारित प्रपत्र में भुगतान हेतु बिल अनुभाग अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण करवाकर कार्यालय में कार्य पूरा होने अथवा प्रत्येक माह की समाप्ति पर माह की पांच तारीख तक प्रस्तुत किया जायेगा। अनुबंधकर्ता द्वारा प्रस्तुत बिल में से नियमानुसार कटौती की जावेगी।
32. अनुबंधकर्ता को उस पर लागू समस्त अधिनियमों कानूनों जैसे कारखाना अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, कांटेक्ट लेबर एक्ट 1970, आयकर अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, बाल श्रमिक रोकथाम एवं रेग्युलेशन एक्ट 1986 एवं आईएसओ 2000 के सिद्धान्तों की अनुपालना स्वयं को करनी होगी।
33. अनुबंधकर्ता को अपने प्रत्येक कर्मकार के लिये रु. 05 लाख बीमित मूल्य का दुर्घटना बीमा करवाना अनिवार्य है। कार्य के दौरान कर्मकार के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर समस्त कार्यवाही करने का दायित्व अनुबंधकर्ता का होगा।
34. अनुबंधकर्ता को अपने कर्मकारों का स्वास्थ्य परीक्षण प्रत्येक 06 माह में करवाना आवश्यक है एवं सम्बन्धित रिकार्ड संस्था में देना होगा।
35. अनुबंधकर्ता अथवा उसका प्रतिनिधि अपने या संघ में किसी अन्य अनुबंध के अधीन सुपरवाइजर/कर्मकार की तरह कार्य नहीं करेगा।
36. कार्य स्थल पर अनुबंधकर्ता अथवा उसका सुपरवाइजर कार्य के दौरान उपस्थित होना चाहिए।
37. अनुबंधकर्ता को कोई भी शर्त जोड़ने अथवा हटाने या परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होगा। अनुबंधकर्ता द्वारा किसी भी शर्त के उल्लंघन करने पर शास्ति आरोपित करने अथवा बिना किसी नोटिस या कारण बताये अनुबंध समाप्त करने का अधिकार दुग्ध संघ, जयपुर के प्रशासन का होगा।
38. प्रबन्ध निर्देशानुसार कार्य सम्पादित करवाने हेतु अनुबंधकर्ता को स्वयं या उसके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि/पर्यवेक्षक के माध्यम से सम्बन्धित अनुभाग अधिकारी से अनिवार्य रूप से प्रतिदिन प्रति पारी सम्पर्क स्थापित करना होगा एवं आपात स्थिति में सम्पर्क स्थापित करने हेतु अनुबंधकर्ता या उसके प्रतिनिधि की उपलब्धता के सम्बन्ध में भी प्रबन्ध को अवगत कराना होगा।

### 39- Appeals:- 1<sup>st</sup> Appellate authority - Chairman, JZDUSS Ltd.

2<sup>nd</sup> Appellate authority - MD RCDF Ltd.

Procedure for appeal is mention at Annexure "A"

40. सम्बन्धित अनुबंधकर्ता से अनुबन्ध अवधि में जो भी सूचना या दस्तावेज इस संघ द्वारा मांगे जावेगें वे निश्चित अवधि में उपलब्ध करवाने आवश्यक होंगे यदि अनुबंधकर्ता के द्वारा दस्तावेज/सूचना नहीं दी जाती है तो अनुबन्ध की शर्तों की अवहेलना माना जावेगा तथा प्रबन्धन इस अनियमिता के लिये अनुबंधकर्ता पर शास्ती आरोपित कर सकेगा तथा अनुबन्ध भी निरस्त किया जा सकेगा।
41. अनुबंध अवधि के दौरान कार्य अंसतोषजनक होने पर प्रशासन द्वारा अनुबंध निरस्त किया जा सकता है। इस स्थिति में अनुबंधकर्ता की सुरक्षा राशि/ बैंक गारंटी एवं अन्य देय भुगतान भी जब्त किये जावेगें।
42. अनुबन्ध अवधि के दौरान अनुबन्धित अनुबंधकर्ता द्वारा यदि वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाती है तो अनुबन्धकर्ता को बकाया नहीं प्रमाण पत्र एवं धरोहर राशि व अन्य कोई राशि वांछित सूचना उपलब्ध

करवाने तक नहीं दी जावेगी। अनुबन्ध अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात किसी भी अधिकार के अन्तर्गत यदि कोई सूचना वांछित होती है तो वह सूचना अनुबन्धकर्ता द्वारा उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक होगा

43. निविदा प्रपत्र की सभी शर्तें अनुबन्ध का हिस्सा होगी।
44. यदि राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा जीएसटी की दरों में वृद्धि/कमी की जाती हैं तो उसका समायोजन तदनुसार किया जावेगा। इसके अलावा अन्य कोई नया कर निविदा के पश्चात निर्धारित किया जाता है तो उसका भुगतान देय दरों के अतिरिक्त होगा।
45. पात्रता की शर्त संख्या 11 में निविदा में भाग लेने से अपात्र माने जाने का आधार निम्नानुसार हैं:-
  1. एक ही ठेकेदार द्वारा समस्त कार्यों का ठेका लेने की सम्भावना बढ़ जायेगी व किसी भी समय उसके द्वारा कार्य रोके जाने पर पूरा उत्पादन कार्य बाधित हो सकता है।
  2. सुरक्षा व्यवस्था में कार्यरत ठेकेदार यदि अन्य कार्यों का भी ठेका ले लेता है तो उसी के कर्मकार संयन्त्र के अन्दर-बाहर आत जाते रहेंगे। ऐसे में से किसी भी प्रकार की चोरी/अनियमितता होने पर संघ के उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट नहीं करेंगे एवं कार्य में पारदर्शिता नहीं रहेगी।
  3. एक ही ठेकेदार यदि समस्त कार्यों का ठेका ले लेता है तो यह स्वाभाविक रूप से एकाधिकार व हठधर्मिता प्रदर्शित करेगा।
  4. यह है कि निविदा में ज्यादा से ज्यादा निविदादाता भाग लेने चाहिए जिससे प्रतिस्पर्धात्मक रूप से दरे प्राप्त हो सकती हैं। ऐसे में दुग्ध संघ में कार्यरत वर्तमान ठेकेदारों के अतिरिक्त बाहर से ज्यादा से ज्यादा फर्मों को भाग लेने हेतु प्रोत्साहन मिलेगा।

उपरोक्त समस्त शर्तें पढ ली हैं व मान्य हैं ।

**NOTE- Important Instruction:- The Law relating to procurement “The Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012” [hereinafter called the Act] and the “Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013” [hereinafter called the Rules] under the said Act have come into force which are available on the website of State Public Procurement Portal <http://sppp.rajasthan.gov.in> Therefore, the Bidders are advised to acquaint themselves with the provisions of the Act and the Rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the provisions of the Act and the Rules and this Bidding Document, the provisions of the Act and the Rules shall prevail.**

### **अनुभाग IV : Bidding Forms**

फॉर्म/दस्तावेज जो की प्रस्तुत किये जाने हैं:-

**Form -1**  
**TECHNICAL PROPOSAL SUBMISSION FORM**

***(On the letter head of the Bidder)***

{Location, Date}

To

Managing Director,

Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd.,

Near Gandhi Nagar Railway Station, Jaipur-302 015, Rajasthan

Dear Sir,

We, the undersigned, offer to provide the services for service contract for Biomass Briquette, Ash Handling & ash disposal from steam boiler (On Job Work Basis). In accordance with your Bid Proposals dated [Insert Date]. We are hereby submitting our Proposal, which includes this Technical Proposal and a Financial Proposal as e-procurement portal i.e. <http://eproc.rajasthan.gov.in>

We hereby declare that:

- (a) All the information and statements made in this Bid/Proposal are true and we accept that any misinterpretation or misrepresentation contained in this Bid/Proposal may lead to our disqualification by the Management of Cattle Feed Plant, Kaladera, A Unit of: Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd., Jaipur and action may be taken against us under the provisions of the Act and the Rules.
- (b) Our Proposal shall be valid and remain binding upon us for the required period of 90 Days.
- (c) We declare that we have complied with the and shall continue to comply with the provisions of Code of Integrity contained in the Bid Document in competing for and in execution of the Contract and that we have no conflict of interest in accordance.
- (d) We meet the Eligibility and Qualification criteria as required in the Bid Document.
- (e) Our Bid/Proposal is binding upon us and subject to any modifications resulting from the Contract negotiations.
- (f) We undertake, if our Proposal is accepted and the Contract is signed, to initiate the Services related to the assignment no later than the period stated in the Bid Document.
- (g) We understand that the Cattle Feed Plant A unit of Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd., Jaipur is not bound to accept any Proposal that it receives.

We remain,

Yours sincerely,

Authorized Signature {In full and initials}: \_\_\_\_\_

Name and Title of Signatory: \_\_\_\_\_

Name of Bidder (firm's/ company's name): \_\_\_\_\_

In the capacity of: \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_

Contact information (phone and e-mail): \_\_\_\_\_

**Form-2****BIDDER'S ORGANIZATION AND EXPERIENCE**

Form-2: A brief description of the Bidder's organization and an outline of the recent experience of the Bidder that is most relevant to the assignment. For each assignment, the outline should indicate, the duration of the assignment, the contract amount and the Bidder's role/involvement.

Bidder's Organization

1- Name & full address of the firm

Submitting the tender (In block letters)

Phone No. \_\_\_\_\_ Mobile No. \_\_\_\_\_

Fax No. \_\_\_\_\_ Email address \_\_\_\_\_

2- Addressed to : JZDUSS. Ltd., Near Gandhi Nagar Railway station Jaipur 302015

3- Office Location (Complete address)

.....

Phone No. \_\_\_\_\_ Mobile No. \_\_\_\_\_

Fax No \_\_\_\_\_ Email address \_\_\_\_\_

4- Name of the person/sauthorizedtoNegotiate and sign the contract

(Designation / status inthefirm) .....

(Enclose an attested photocopy of power of attorney issued by all partners/director in favour of nominated person).

5- Status of tendererwithsignature

: Individual/ HUF/ firm/ company

(tick mark only)

(Specify the details in enclosed annexure-I)

(Mandatory: Before making any change in constitution of the firm, it will be intimated to JZDUSS LTD., Jaipur for approval).

6- Earlier experience in this field(ifany)

: Enclose thedocument/s.

7- Tender Fee Details:

Rs..... DD No..... date...../2026

CATTLE FEED PLANT KALADERA / Name of the Bank..... Branch.....

(The DD should be in favour of CATTLE FEED PLANT KALADERA payable at Jaipur)

8- EMD Details:

DD No..... dated...../2026

CATTLE FEED PLANT, KALADERA. / Issued by Bank.....Branch.

(DD should be infavour of CATTLE FEED PLANT, KALADERA, payable at Jaipur. No interest will be payable on EMD.)

9- MD RISL Processing Fees .....DD no..... Date.....Bank Name.....

(in favour of MD RISL)

10- (a)PAN Card/No (Attach attestedPhotocopy)

(b)GSTNNo.....(Attach attestedPhotocopy)

11- Details of the Bankers: Name..... Branch .....

12- District ..... State.....Account No ..... IFSC Code .....

## FORM -3

**Bid Security in form of Bank Guarantee***[To be issued by a Scheduled Bank in India and must be duly stamped]**[insert Bank's Name, and Address of Issuing Branch or Office]***Beneficiary:**

The Managing Director

Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd.,

Near Gandhi Nagar Railway Station, Jaipur-302015 Rajasthan

Date: *[insert date]***BID GUARANTEE No.: *[insert number]***

We have been informed that *[insert name of the Bidder]* (hereinafter called "the Bidder") has submitted to you its Bid dated *[insert date]* (hereinafter called "the Bid") for the execution of services for :-

Biomass Briquette, Ash Handling & ash disposal form steam boiler (On Job Work Basis).

Under Bid No. *[insert BID number]*. Furthermore, we understand that, according to your conditions, bid must be supported by a Bid Security.

At the request of the Bidder, we *[insert name of Bank]* hereby irrevocably undertake to pay you any sum or sums not exceeding in total an amount of *[insert amount in figures]* *[insert amount in words]* upon receipt by us of your first demand in writing accompanied by a written statement stating that the Bidder is in breach of its obligation(s) under the Bid/Tender conditions, because the Bidder:

(a) has withdrawn its Bid/Tender during the period of Bid validity specified by the Bidder in the Form of Bid; or

(b) Having been notified of the acceptance of its Bid by the Cattle Feed Plant, Kladera, A unit of Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd., Jaipur during the period of Bid/Tender validity,

(i) Fails or refuses to execute the Contract Form, if required,

(ii) Fails or refuses to furnish the performance security/additional performance security in accordance with the Instructions to Bidders (ITB),

(iii) Does not accept the correction of errors in accordance with the ITB, or

(iv) Breaches any provision of the Code of Integrity specified in ITB;

This guarantee will expire: (a) if the Bidder is the successful Bidder, upon our receipt of copies of the contract signed by the Bidder and the performance security issued to you upon the instruction of the Bidder; and (b) if the Bidder is not the successful Bidder, upon the earlier of (i) our receipt of a copy your notification to the Bidder of the name of the successful Bidder; or (ii) 120 days after the expiration of the Bidder's Bid/Tender.

Consequently, any demand for payment under this guarantee must be received by us at the office on or before that date.

The Guarantor has power to issue this guarantee and discharge the obligations contemplated herein, and the undersigned is duly authorised to execute this Guarantee pursuant to the power granted under \_\_\_\_\_.

Name \_\_\_\_\_

In the capacity of \_\_\_\_\_

Signed \_\_\_\_\_

Duly authorized to sign the Bid Security for and on behalf of \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

Bank's Seal \_\_\_\_\_ of Bid Security

**FORM -4**  
**(ON THE LETTER HEAD OF THE BIDDER)**  
**Declaration by the Bidder in compliance of Section 7 & 11 of the Act**  
**Declaration by the Bidder**

In relation to our Bid/Tender submitted to Managing Director, Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd., Jaipur-302015, Rajasthan

For Biomass Briquette, Ash Handling & ash disposal form steam boiler (On Job Work Basis).

In response to their Bid/Tender No..... Dated ..... we hereby declare under Section 7 and 11 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that;

1. We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Cattle Feed Plant, Kaladera.
2. We have fulfilled our obligation to pay such of the taxes payable to the Central Government or the State Government or any local authority, as specified in the Bidding Document;
3. We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have our affairs administered by a court or a judicial officer, not have our business activities suspended and are not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. We do not have a conflict of interest as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, which materially affects fair competition;
6. We have complied and shall continue to comply with the Code of Integrity as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, till completion of all our obligations under the Contract.

Date:

Signature of Bidder/service provider

Place:

Name:

Designation:

Address:

**FORM -5**  
**(ON THE LETTER HEAD OF THE BIDDER)**  
**POWER OF ATTORNEY**

***(On Stamp paper of appropriate value and attested by notary)***

Know all men by these presents, We.....(name and address of the registered office) do hereby constitute, appoint and authorise Mr / Ms.....(name and residential address) who is presently employed with us and holding the position of ..... as our attorney, to do in our name and on our behalf, all such acts, deeds and things necessary in connection with or incidental to our Bid for selection as Bidder Biomass Briquette, Ash Handling & Ash disposal form steam boiler (On Job Work Basis).Including signing and submission of all documents and providing information/responses to JZDUSS Ltd. in all matters in connection with our Applicant for the said Assignment.

We hereby agree to ratify all acts, deeds and things lawfully done by our said attorney pursuant to this Power of Attorney and that all acts, deeds and things done by our aforesaid attorney shall and shall always be deemed to have been done by us.

Dated this the Day of Acceptance

For ..... Name & signature

(Name and designation of the person(s) signing on behalf of the Applicant)

**FORM -6**  
**Format for Pre-bid queries**

Name of the Bidder/Service Provider:

Address:

Telephone No.:

Fax No:

Mobile No:

Email ID:

	Section No. – Clause No. – Paragraph/Bullet No.	Corresponding page no in the Bid Document	Particulars of the query / clarification	Remarks of CFP Kaladera, JAIPUR

Authorized Signatory

Designation

[The queries have to be submitted through e-mail in word document (not a PDF) to CATTLE FEED PLANT, KALADERA cfp.kaladera@gmail.com latest by 7 Days before the date of Pre-bid Conference. The bidder should send the queries through official e-mail IDs only.]

**Form No: 7**

—: शपथ – पत्र :-  
(On the letter head of the Bidder)

मैं /हम निविदादाता ----- पुत्र श्री -----  
-----पता-----

.( फर्म के नाम से निविदा भरने की स्थिति में यह शपथ पत्रा फर्म के प्रोपराइटर/सभी पार्टनर/सभी डायरेक्टर द्वारा भरा जावेगा) सशपथ घोषणा करता हूं कि

1. मैं/हमारे द्वारा जयपुर संघ अथवा संघ के अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध (संघ से सम्बन्धित कार्य के बारे में ) किसी भी न्यायालय अथवा कहीं और किसी भी प्रकार का वाद लम्बित नहीं है ।
2. जयपुर संघ द्वारा मेरे/हमारे के विरुद्ध किसी भी न्यायालय अथवा कहीं और किसी भी प्रकार का वाद लम्बित नहीं है ।
3. मेरा/हमारा पूर्व में संघ द्वारा किसी भी कारण से अयोग्य नहीं किया गया है/निलम्बित नहीं / अनुबंध निरस्त नहीं किया गया है / ब्लेक लिस्टेड नहीं किया गया है ।
4. मेरा/हमारा संघ के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी/संचालक मण्डल के सदस्य से/दुग्ध समितियों के पदाधिकारी ;) वद कंजम व निइउपेपवद व जिमदकमतद्ध वित्तीय सम्बन्ध नहीं है ।
5. मेरा/हमारा संघ के संचालक मण्डल के सदस्य/दुग्ध समितियों के पदाधिकारी/अधिकारी /कर्मचारी से रक्त सम्बन्ध नहीं है ।
6. मैं/हम दिवालिया /नाबालिग/अस्वस्थ मस्तिष्क के नहीं है ।
7. मैं/हम संघ के समान/प्रतिस्पर्धी कार्य/व्यापार मे लिप्त नहीं है ।
8. मैं/हम वर्तमान में किसी भी अन्य प्रतिस्पर्धी ब्रांड के कार्यालय/संयंत्र में अनुबंध के अंतर्गत कार्यरत नहीं हैं ।
9. मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रा में दी गई घोषणा गलत पायें जाने पर मेरी/हमारी धरोहर /सुरक्षा राशि/बैंक गारंटी/अन्य देय भुगतान संघ में जब्त समझी जावेगी एवं टेण्डर की अवधि के दौरान तथ्य उजागर होने पर टेण्डर को निरस्त भी किया जा सकेगा । जिसके लिए मैं/हम स्वयं जिम्मेदार रहूंगा ।

**Form No: 8**

**TENDER ACCEPTANCE DECLARATION**

*(On the letter head of the Bidder)*

Tender Reference No. \_\_\_\_\_

Tender ID No. \_\_\_\_\_

Name of Tender / Work / Item \_\_\_\_\_

Dear Sir,

I / We have downloaded / obtained the tender documents (s) for the above mentioned “Tender / Work / Item” from the web site(s) namely:

\_\_\_\_\_ as per your advertisement, given in the above mentioned website(s).

1. I / We hereby certify that I/We have read and understood the entire terms and conditions of the tender documents (including all documents like Special Notes, annexure(s), Schedules(s), Specifications of the item(s), etc.) which form part of the contract agreement and I / We shall abide hereby the terms / conditions / clauses contained therein.
2. The corrigendum(s) issued from time to time by your department/ organization too has also been taken into consideration, while submitting this acceptance letter.
3. I / We hereby unconditionally agree & accept the tender conditions of above mentioned tender document(s) corrigendum(s) in its totality / entirety.
4. In case any provisions of this tender are found violated or breached then your department /organization shall without prejudice to any other legal right or remedy be at liberty to reject this tender / bid including the forfeiture of the full said earnest money deposit absolutely.

Yours Faithfully,

(Signature of the Bidder, With Official Seal & Date)

**FORM-9**

-: शपथ - पत्र :-

**(On the letter head of the Bidder)**

मैं / हम निविदादाता ..... पुत्र श्री .....पता.....  
 ..... ( फर्म के नाम से निविदा भरने की स्थिति में  
 यह शपथ पत्र फर्म के प्रोपराइटर/सभी पार्टनर/सभी डायरेटर द्वारा भरा जावेगा) सशपथ घोषणा  
 करता हूँ कि

- 1- मेरे द्वारा नियोजित श्रमिकों को नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रिय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना की जावेगी ।
- 2- मेरे द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान उनके बैंक खातों में ही दिया जावेगा । बैंकखातों में जमा करवायी गयी राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जावेगा ।
- 3- मेरे द्वारा श्रम विभाग द्वारा निर्धारित मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान किया जावेगा ।
- 4- मेरे द्वारा राज्य में लागू श्रम नियमों के अंतर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ईपीएफएवं ईएसआई की राशि जमा करवायी जावेगी ।
- 5- कार्य सम्पादन की अवधि के दौरान कार्य के सम्बन्ध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति कामुआवजा देने/इएसआई करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा करवाने इत्यादि की जिम्मेदारी मेरी होगी । इसके लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
- 6- श्रम विधि के अंतर्गत निर्धारित नियमों उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावेगी । श्रम विधि के अंतर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये मेरी जिम्मेदारी होगी ।
- 7- सफल निविदादाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST)की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी । सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी निविदादाता की ही होगी । निविदादाता द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST)के चालानकी प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जावेगी । वस्तु एवं सेवा कर (GST)की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जावेगा । उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST)के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा ।
- 8- यदि सफल निविदादाता एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी निविदादाता की होगी । इसके लिए उपापन संस्था को सक्षमप्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा ।
- 9- नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा ।

## अनुभाग-V

### CONTRACT FORMS AND PERFORMANCE SECURITY

*(To be executed on Non-Judicial Stamp Paper of appropriate value)*

#### RATE CONTRACT FOR PROVIDING SERVICE FOR

Biomass Briquette, Ash Handling & Ash disposal form steam boiler (On Job Work Basis)

**Between**

**Managing Director,**

**Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd.,**

**Near Gandhi Nagar Railway Station, Jaipur-302015**

**and**

**[Name of the Bidder/Service Provider]**

**Dated:**

### AGREEMENT

**(On non judicial stamped paper of appropriate value)**

- 1) An agreement made this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ between M/s. \_\_\_\_\_ hereinafter called "approved Bidder/Service Provider " which expression shall where the context so admits, be deemed to include his heirs, successors, executors and administrators of the one part and the Cattle Feed Plant, Kaladera, A unit of Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd., Near Gandhi Nagar Railway Station, Jaipur-302015(hereinafter called "the CFP-Kaladera" which expression shall, where the context so admits, be deemed to include his successors in office and assigns) of the other part.
- 2) Whereas the approved Bidder/Service Provider has agreed with the CFP-Kaladera for Biomass Briquette, Ash Handling & Ash disposal form steam boiler (On Job Work Basis) all those articles set forth in the LOI/LOA/work order issued vide No. \_\_\_\_\_ and in the manner set forth in the aforesaid order.
- 3(a) And whereas the approved Bidder/Service Provider has deposited a sum of Rs. \_\_\_\_\_ in form of Bank Guarantee as Performance security for the due performance of the agreement.
- 3(b) And whereas the approved Bidder/Service Provider has agreed:
  - (i) to keep the performance security with the CFP-Kaladera in form of Bank Guarantee for contract period or such extended period so as to cover the period of performance of contract i.e. for Biomass Briquette, Ash Handling & Ash disposal form steam boiler (On Job Work Basis) as per the LOI/LOA/ work order.
  - (ii) That no interest shall be paid by the Jaipur Milk Union on the performance security deposit.
  - (iii) That in case of breach of any terms & conditions of the aforesaid conversion LOI/LOA/work order of this agreement by the approved Bidder/Service Provider, the amount of the performance security shall be liable to forfeiture in full or part by the Federation.

### NOW THESE PRESENT WITNESS

- 1) In consideration of the payment to be made by the CFP-Kaladera at the rates set forth in the aforesaid LOI/LOA/work order, the approved Bidder/Service Provider will duly Biomass Briquette, Ash Handling & Ash disposal form steam boiler (On Job Work Basis) etc all those articles set forth in the work order issued and in the manner set forth and within the period stipulated in the conditions of the Bid/tender and order.
- 2) The conditions of the Bid/Tender as given in the Bid/tender document for the work, conditions of the aforesaid LOI/LOA/work order and also any subsequent amendment as may be issued by the CFP-Kaladera will be deemed to be taken as part of this agreement and are binding on the parties executing this agreement.
- 3) That all the terms and conditions of the Bid/Tender Form including its Annexures stands ipso facto included as terms of this agreement as inseparable part of this agreement and binding on approved Bidder/Service Provider.
  - (a) For any shut down / break down in the equipment / plant at the CFP Kaladera for which the delay occurs for the unloading of trucks received than no penalty will be charged from approved bidder / service provider.
  - (b) In the event of receiving repeated complaints in writing from the CFP-Kaladera, MD, Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd., may decide to recover suitable amount towards such losses from the approved Bidder/Service Provider and such decision of MD, Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd. shall be final and binding on the approved Bidder/Service Provider.

- 4) The mode of payment will be as specified in the Bid documents. Work shall be effected and completed in the manner and time specified in the LOA/work order/bid document. In case the approved Bidder/Service Provider fails to execute the work within the time specified in the aforesaid LOA/work order, the conditions of liquidated damages and penalty those for late completion of work as stipulated in the aforesaid work order/contract shall be enforced.

If the Bidder/Service Provider considers at any time during the performance of the Contract that he is unable to meet the agreed dates and deadlines set forth for various deliverables due to occurrence of an event of Force Majeure or any other reasons, it may request in writing immediately on the occurrence of cause of hindrance to the CFP-Kaladera, to execute the work. The CFP-Kaladera, after considering the reasons and justifications, may consider request without liquidated damages.

- 5) **Amicable Settlement**  
The parties shall use their best efforts to settle amicably all disputes arising out of or in connection with this Contract or the interpretation thereof. In the event a dispute, differences or claim arises in connection with the interpretation or implementation of this Contract, the aggrieved party shall issue a written notice setting out the dispute/ differences or claim to the other party. Parties shall first attempt to resolve such dispute through mutual consultation. If the dispute is not resolved as aforesaid within 30 days from the date of receipt of written notice, the matter will be referred for Arbitration.
- 6) All disputes and difference arising between the parties out of the agreement or incidental thereto shall be decided by arbitration under the provisions of the Arbitration and conciliation Act, 1996 or any other law for the time being in force and the same shall be final and binding on both the parties.
- 7) All the disputes pertaining to the said contract shall vest to the jurisdiction of Courts at Jaipur.
- 8) All terms & conditions of the tender shall be part of this agreement.

In witness whereof the parties hereto have set their hands on the \_\_\_\_\_ day \_\_\_\_\_.

SIGNATURE OF THE APPROVED SUPPLIER:

SIGNATURE FOR AND ON BEHALF OF the JZDUSSL:

**Witness No.1**

**Witness No.1**

Signature : \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_

Name : \_\_\_\_\_

Name : \_\_\_\_\_

Address : \_\_\_\_\_

Address : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Witness No.2*

*Witness No.2*

Signature : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

Name : \_\_\_\_\_

Name : \_\_\_\_\_

Address : \_\_\_\_\_

Address : \_\_\_\_\_